समाहरणालय, मधुबनी।
(जिला योजना कार्यालय)
-: निविदा आमंत्रण सूचना :-

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी मध्य एवं उच्च विद्यालयों के लिए बेंच-डेस्क के क्रय कर आपूर्त्ति हेतु निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक : 6/9/16 को अपराह्ण 01:00 बजे तक इच्छुक प्रतिष्ठित निबंधित निर्माता/प्रतिष्ठानों एवं अधिकृत विक्रेताओं/आपूर्तिकर्त्ताओं से मुहरबंद लिफाफा में निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाओं को दिनांक : 6/9/16 को ही अपराह्ण 03:00 बजे जिला क्रय समिति के समक्ष खोला जाएगा, जिसमें निविदादाता स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते है। शिक्षा विभाग के अनुसार विद्यालयों में क्रय किये जानेवाले बेंच-डेस्क की विशिष्टियाँ निर्धारित है। आपूर्त्ति की जानेवाली बेंच-डेस्क का साईज एवं निर्धारित स्पेशिफिकेशन योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना का **ज्ञापांक : 4673/यो0वि0, पटना, दिनांक : 09.10.2014** में अंकित है। जिसे जिला योजना कार्यालय, मधुबनी से किसी भी कार्य दिवस को निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक : .... को अपराह्ण 01:00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है तथा PRD and Madhubani जिला के बेवसाईट पर भी देखा/डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा जिला योजना कार्यालय, मधुबनी के कार्यालय में जमा किया जाना है।

(क) तकनीकी निविदा की शर्ते :-

1. तकनीकी निविदा में 20,000/- (बीस हजार) रूपया मात्र का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट जो जिला योजना पदाधिकारी, मधुबनी के पदनाम से देय एवं मधुबनी में भुगतेय हो, संलग्न रहना चाहिए।
2. तकनीकी संबंधी लिफाफा में निविदादाता को स्वअभिप्रमाणित DIC के अधीन निबंधन प्रमाण पत्र या बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान का निबंधन प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
3. वैट रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना होगा।
4. निविदादाता को विगत दो वर्षो का आयकर रिटर्न की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. निविदादाता को अंकेक्षित बैलेंस सिट विगत दो वर्षों (2014-15 एवं 2015-16) का जिसमें प्रति वर्ष Turn over मो0 20,00,000.00 (बीस लाख) रूपये का होना अनिवार्य है।
6. निविदादाता को बेंच-डेस्क निर्माण तथा आपूर्त्ति का अनुभव प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा।
7. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने का नोटरी पब्लिक से सत्यापित शपथ पत्र देना होगा।
8. निविदादाता को इस आशय का प्रमाण-पत्र देना होगा कि उन्हें निविदा की सभी शर्तें मान्य है।

(ख) वित्तीय निविदा की शर्ते -

9. वित्तीय निविदा में बेंच-डेस्क स्पेशिफिकेशन एवं प्रति इकाई दर सभी कर सहित देना होगा।

(ग) सामान्य शर्ते -

10. जिला योजना कार्यालय, मधुबनी में मुहरबंद निविदाएँ निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त किया जाएगा।
11. तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में होना चाहिए।
12. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता की ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी।
13. स्वीकृत आपूर्तिकर्त्ता को विपत्रों पर नियमानुसार स्त्रोंत पर निर्धारित कर कटौती के बाद ही विपत्र का भुगतान किया जाएगा।
14. बेंच-डेस्क आपूर्ति के पश्चात संबंधित मध्य एवं उच्च विद्यालयों द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।
15. बेंच-डेस्क की आपूर्ति हेतु किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।

16. कार्यादेश के अनुरूप बेंच–डेस्क की आपूर्ति निर्धारित समय सीमा के अंदर चिन्हित मध्य एवं उच्च विद्यालयों में करना होगा, जिसका उक्त स्थल तक का भाड़ा आपूर्त्तिकर्त्ता के द्वारा देय होगी। अन्यथा संबंधित फर्म की राशि जब्त कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
17. बेंच–डेस्क पर सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, वर्ष, विद्यालय का नाम निश्चित रूप से अंकित होना चाहिए अन्यथा संबंधित फर्म की जमानत की राशि जब्त कर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। निविदा में वर्णित विशिष्टि के अलावा किसी भी प्रकार का दर स्वीकार्य नहीं होगा।
18. एकरारनामा के साथ Performance Security Deposit (एकरारनामा की राशि का 05 प्रतिशत) बैंक गारंटी/NSC जिला योजना पदाधिकारी, मधुबनी के पदनाम से प्लेज किया हुआ जमा करना होगा। जिसकी बैधता 180 दिनो की अवधि तक रहनी चाहिए। Security Money की वापसी कार्य समाप्ति के पश्चात की जायेगी।
19. विवाद की स्थिति में न्यायलय, मधुबनी का क्षेत्राधिकार लागू होगा।
20. बिना कारण बताए निविदा को स्वीकृत/रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
21. किसी विवाद के स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।

(घ) अन्य शर्तें –

1. बेंच–डेस्क की आपूर्ति के क्रय में बेंच–डेस्क के परिवहन में हुई किसी प्रकार की क्षति के लिए दावा मान्य नहीं होगा।

15/8/16

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।

पत्रांक :— 6/वि० 9—34/2013 ......

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

द्वारा:— आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

वित्त विभाग द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

पटना, दिनांक :— ....

विषय:— बेंच—डेस्क के क्रय के सम्बन्ध में मंत्रिपरिषद की दिनांक 04.03.2014 की बैठक के निर्णय को निरस्त करते हुए बेंच—डेस्क की संशोधित विशिष्टताओं एवं दर के अनुरूप मुख्यमंत्री पोशाक योजना/मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना में वित्तीय वर्ष 2012—13 एवं 2013—14 की कुल बचत राशि 2,06,70,00,000/— (दो अरब छः करोड़ सत्तर लाख रूपये) से राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में विद्यालय शिक्षा समिति के माध्यम से बेंच—डेस्क के क्रय की स्वीकृति एवं राशि की विमुक्ति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2012—13 एवं 2013—14 में मुख्यमंत्री पोशाक योजना/मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना की कुल बचत राशि 2,06,70,00,000/—(दो अरब छः करोड़ सत्तर लाख रूपये) से चालू वित्तीय वर्ष 2014—15 में राज्य के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में विद्यालय शिक्षा समिति के माध्यम से बेंच—डेस्क के क्रय हेतु स्वीकृति तथा विमुक्ति प्रदान की है।

2. इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0—6/वि० 9—34/2013—128 दिनांक 11.03.2014 को निरस्त किया जाता है।

3. बेंच—डेस्क का क्रय निम्न विशिष्टताओं एवं 01 बेंच एवं 01 डेस्क के लिए निर्धारित अधिकतम दर के अधीन किया जाएगा :—

उपस्कर का नाम एवं प्रकार	आकार	विशिष्टतायें	अधिकतम मूल्य
(क) शीशम की लकड़ी का फ्रेम एवं आम की लकड़ी का पटरा बेंच— (शीशम की लकड़ी का फ्रेम एवं आम की लकड़ी का पटरा)	60 इंच x 18 इंच x 10 इंच	(i) पौवा – 18 इंच x 2 इंच x 2 इंच— चार (ii) पाशी – 60 इंच x 3 इंच x 1 इंच— दो (iii) साईड पाशी – 07 इंच x 3 इंच x 1 इंच— तीन (iv) गज – 07 इंच x 1.5 इंच x 1 इंच – दो (v) पटरा—आम – 60 इंच x 10 इंच x 1 इंच —एक	"एक बेंच + एक डेस्क" के लिए= 3000/— (तीन हजार)

E:\Pri. edu. (J)\Santekh\Bench-Desk\Swekrityadesh\2014.doc

डेस्क–(शीशम की लकड़ी का फ्रेम एवं आम की लकड़ी का पट्‌रा)	60 इंच x 30 इंच x 14 इंच	(i) पौवा – 30 इंच x 02 इंच x 02 इंच– चार (ii) पाशी – 60 इंच x 03 इंच x 01 इंच– दो (iii) साईड पाशी – 10 इंच x 4 इंच x 1 इंच – तीन (iv) गज – 12 इंच x 1.5 इंच x 1 इंच – दो (v) पटरा–आम– 60 इंच x 10 इंच x 1 इंच – एक (vi) पटरा–आम– 60 इंच x 4 इंच x 1 इंच – एक	
(ख) लोहे का फ्रेम चौकोर 16 गेज, सवा इंच एवं आम की लकड़ी का पट्‌रा **बेंच**–(लोहा का फ्रेम चौकोर 16 गेज, सवा इंच एवं आम की लकड़ी का पट्‌रा)	60 इंच x 18 इंच x 10 इंच	(i) पौवा–18 इंच x सवा इंच x सवा इंच – चार (ii) लेग सहित पाशी–60 इंच x सवा इंच x सवा इंच – तीन (iii) साइड पाशी–07 इंच x सवा इंच x सवा इंच – तीन (iv) पट्‌रा आम का–60 इंच x 10 इंच x 1 इंच – एक	"एक बेंच + एक डेस्क" के लिए= 3000/– (तीन हजार)
डेस्क–(लोहा का फ्रेम चौकोर 16 गेज, सवा इंच एवं आम की लकड़ी का पट्‌रा)	60 इंच x 30 इंच x 10 इंच	(i) पौवा–30 इंच x सवा इंच x सवा इंच – चार (ii) लेग सहित पाशी–60 इंच x सवा इंच x सवा इंच – तीन (iii) साइड पाशी–10 इंच x सवा इंच x सवा इंच – पाँच (iv) पट्‌रा आम का–60 इंच x 10 इंच x 1 इंच – एक (v) पट्‌रा आम का–60 इंच x 4 इंच x 1 इंच – एक	

4. बेंच–डेस्क के क्रय हेतु शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टतायें एवं प्रति 01(एक) बेंच एवं 01(एक) डेस्क का अधिकतम दर सभी जिलों को संसूचित किया जाता है। बेंच–डेस्क के क्रय हेतु आवश्यक राशि विद्यालय शिक्षा समिति को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। विद्यालय शिक्षा समिति के द्वारा निर्धारित विशिष्टताओं एवं प्रति सेट के लिए निर्धारित अधिकतम दर के अधीन बेंच–डेस्क का क्रय किया जा सकेगा। क्रय में मितव्ययिता बरती जाएगी।

5. विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा बेंच–डेस्क के क्रय में निर्धारित विशिष्टताओं को सुनिश्चित किया जाएगा। बेंच–डेस्क की गुणवत्ता की जाँच के उपरान्त ही आपूर्ति कर्त्ता को राशि भुगतान किया जाएगा। वर्ग I से वर्ग III तक के बच्चों के लिए बेंच–डेस्क की ऊँचाई थोड़ी कम की जा सकेगी।

6. बेंच–डेस्क का टॉप आम का पटरा निर्धारित किया गया है। विद्यालय शिक्षा समिति क्रय करने के क्रम में यह सुनिश्चित करेगी कि आम के पटरा की लकड़ी सूखी हो। बेंच–डेस्क में किसी प्रकार की त्रुटि (Defect) होने पर उसे तुरंत वापस करने/बदले जाने की व्यवस्था करेगी।

7. राशि का भुगतान आपूर्ति के 30 दिनों के पश्चात अगले 15 दिनों के अन्दर कर दी जाएगी। आपूर्ति से 30 दिनों के अन्दर बेंच–डेस्क की गुणवत्ता के सम्बन्ध में समिति संतुष्ट हो लेगी। किसी प्रकार के बदलाव एवं त्रुटि का निराकरण 30 दिनों के अन्दर कर लिया जाएगा।

8. बेंच–डेस्क के प्रति सेट के लिए निर्धारित अधिकतम दर 3000/–(तीन हजार रूपये) में रंग, पेन्ट, परिवहन खर्च एवं वैट(VAT) की राशि सम्मिलित है। इसलिए इसका अलग से भुगतान नहीं किया जाएगा।

9. उक्त स्वीकृत राशि के व्यय का विकलन राज्य योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में मुख्य शीर्ष 2202, सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष–01–प्रारंभिक शिक्षा, लघु शीर्ष–052–उपस्कर, समूह शीर्ष, राज योजना के अन्तर्गत उप शीर्ष–0102–प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में उपस्कर में उपबंधित राशि के बचत राशि की व्यवस्था से होगा। जिसका विपत्र कोड–P-2202010520102 होगा।

10. योजना का अनुश्रवण विद्यालय स्तर पर विद्यालय शिक्षा समिति तथा विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा किया जाएगा। प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी को योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण की जिम्मेवारी होगी। राज्य स्तर पर यह कार्य बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा किया जाएगा।

11. बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना के द्वारा जिलावार विद्यालयों की संख्या एवं प्रति विद्यालय दी जानेवाली राशि का निर्धारण किया जाएगा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना द्वारा व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र एवं निर्धारित अवधि में विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।

12. इस राशि का विचलन किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

13. उक्त राशि के व्यय की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 09.09.2014 मद संख्या 31 के रूप में स्वीकृत है।

14. राज्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0–6/वि० 9–34/2013 के पृ0–....40.../टि0 पर प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/–
(सुनील कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 6/वि० 9–34/2013................/ पटना, दिनांक :– ..../

प्रतिलिपि :– योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के संयुक्त सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 6/वि० 9–34/2013...767.../ पटना, दिनांक :– 25/09/2014/

प्रतिलिपि :– राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी (सर्व शिक्षा अभियान)/आय–व्यय पदाधिकारी/बजट पदाधिकारी/आई०टी०मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

09-10-2014

ज्ञापांक: यो04/मु.क्षे.वि.यो.–25/2013–4673/यो.वि., दिनांक ~~सितम्बर,14~~

प्रतिलिपि: सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, बिहार/सभी जिला योजना पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशानुसार अनुरोध है कि बेंच–डेस्क की संशोधित विशिष्टताओं एवं दर के अनुरूप मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत विद्यालयों/मदरसों में अधिकतम मूल्य सीमा के आलोक में निविदा आमंत्रित कर जिला क्रय समिति की अनुशंसा के आधार पर ही क्रय किया जाय।

3/10/14

(डा0 अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक

09.10.2014

ज्ञापांकः यो04 / मु.क्षे.वि.यो.–25 / 2013–4673/ यो.वि., दिनांक ~~सितम्बर,14~~

प्रतिलिपिः मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, विश्वेश्वरैया भवन, पटना / सभी अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बिहार / सभी कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/9/14

संयुक्त निदेशक

09.10.2014

ज्ञापांकः यो04 / मु.क्षे.वि.यो.–25 / 2013–4673/ यो.वि., दिनांक ~~सितम्बर,14~~

प्रतिलिपिः सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

30/9/14

संयुक्त निदेशक

09.10.2014

ज्ञापांकः यो04 / मु.क्षे.वि.यो.–25 / 2013–4673/ यो.वि., दिनांक ~~सितम्बर,14~~

प्रतिलिपिः मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/9/14

संयुक्त निदेशक